कॉलेजियम प्रणाली की जटलिताएँ

यह एडिटोरियल 07/12/2024 को **द हिंदू** में प्रकाशित “*The Collegium and changes — it may still be early days*” पर आधारित है। यह लेख भारत की कॉलेजियम प्रणाली की जटलिताओं का उल्लेख करता है, जिसमें अस्पष्टता, सरकारी विलंब और उत्तरदायित्व के साथ स्वायत्तता को संतुलित करने की चुनौती से जूझते हुए न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के इसके प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है।

प्रिलिम्स के लिये:

भारत की कॉलेजियम प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम- 2014, संविधान की आधारभूत संरचना, पुत्तास्वामी मामला, विधि का शासन सूचकांक

मेन्स के लिये:

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के प्रमुख लाभ, भारत में कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे।

न्यायिक व्याख्या से उत्पन्न हुई भारत की कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये तंत्र के रूप में स्थापित है। **साक्षात्कार आयोजित करने** और **वंशवाद को सीमित करने** जैसे हाल के सुधार आशाजनक हैं, लेकिन **सरकारी विलंब** और **औपचारिक बाध्यकारी नियमों की कमी** के कारण इस प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि इसे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये तैयार किया गया था, लेकिन **नामांकन स्थगित करने की सरकार की शक्ति** और इसके **संचालन की अपारदर्शिता** ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, जहाँ सैद्धांतिक महत्त्व और वास्तविक दुनिया की सीमाएँ आपस में टकराती हैं। फिर भी **न्यायिक स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच यह नाजुक संतुलन** एक महत्त्वपूर्ण **सांविधानिक चुनौती** बना हुआ है, भले ही प्रणाली वृद्धिशील सुधारों के माध्यम से विकसित होने का प्रयास कर रही हो।

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- **कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में:** कॉलेजियम प्रणाली भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में **न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण** के तंत्र को संदर्भित करती है।
  - **संविधान में** इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न **निर्णयों के माध्यम से इसका विकास** हुआ है।
- **संघटन:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम:** इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और **सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल** होते हैं।
  - **उच्च न्यायालय कॉलेजियम:** इसका **नेतृत्व** उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके **दो वरिष्ठतम न्यायाधीश** करते हैं।
- **न्यायिक नियुक्तियों के लिये संवैधानिक प्रावधान**
  - **अनुच्छेद 124:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति **द्वारा,** आवश्यकतानुसार **मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से** की जाती है।
  - **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
- **सरकार की भूमिका:** सरकार आपत्ति उठा सकती है या स्पष्टीकरण मांग सकती है।
  - हालाँकि, यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसाओं को दोहराती है, तो सरकार उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य है।
- **कॉलेजियम प्रणाली का विकास**
  - **प्रथम न्यायाधीश केस (वर्ष 1981):** निर्णय दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ "परामर्श" का अर्थ **"सहमति" नहीं** है।
    - न्यायिक नियुक्तियों में **कार्यपालिका को प्राथमिकता** दी गई।
  - **द्वितीय न्यायाधीश मामला (वर्ष 1993):** प्रथम न्यायाधीश मामले को पलट दिया गया। **"परामर्श" को "सहमति" के रूप में पुनः परिभाषित किया गया**, जिससे मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिक भूमिका दी गई।
    - **कॉलेजियम की अवधारणा** प्रस्तुत की गई, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना आवश्यक हो गया।
  - **तृतीय न्यायाधीश मामला (वर्ष 1998): मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों** को शामिल करने के लिये कॉलेजियम का विस्तार किया गया।

- उन्होंने कहा कि दो कॉलेजियम सदस्यों की असहमति भी किसी अनुशंसा को रोक सकती है।

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग **(NJAC):** कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने के लिये 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम- 2014 **के माध्यम से प्रस्तावित** किया गया।
  - **इसमें शामिल थे:** मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष), सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि एवं न्याय मंत्री और दो प्रख्यात/विशिष्ट व्यक्ति।
  - **वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय** ने न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान के आधारभूत संरचना के उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया था।
- **प्रक्रिया ज्ञापन (MoP):** यह न्यायिक नियुक्तियों के लिये प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने वाला एक कार्यढाँचा है, जिसे सरकार और न्यायपालिका द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।
  - **पारदर्शिता बढ़ाने के लिये वर्ष 2015 में संशोधित MoP की मांग** की गई थी, लेकिन इसका समाधान नहीं हो सका।

//

कॉलेजियम सिस्टम

- न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ, न कि संसद के एक अधिनियम द्वारा

न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 124 (2) और 217- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति
  - राष्ट्रपति "सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों" से परामर्श करने के बाद नियुक्तियाँ करता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे।
- लेकिन संविधान इन नियुक्तियों को करने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- **प्रथम न्यायाधीश मामला (1981):**
  - इसने यह निर्धारित किया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" के चलते अस्वीकार किया जा सकता है।
  - इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- **दूसरा न्यायाधीश मामला (1993):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- **तीसरा न्यायाधीश मामला (1998):**
  - राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेजिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) (अनुच्छेद 143) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- यह कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का एक प्रयास था। इसने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की
- NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा की गई थी
- लेकिन NJAC अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया

आलोचना

- अपारदर्शिता
- भाई-भतीजावाद की गुंजाइश
- कार्यपालिका का बहिष्करण
- नियुक्ति की कोई पूर्व निर्धारित प्रक्रिया नहीं

भारत में कॉलेजियम प्रणाली के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- **न्यायिक स्वतंत्रता:** कॉलेजियम प्रणाली **न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को कार्यपालिका** (अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करना) या **विधायी हस्तक्षेप से मुक्त रखकर न्यायिक स्वतंत्रता** सुनिश्चित करती है।

  - यह स्वायत्तता **न्यायपालिका की एक प्रति-बहुसंख्यकवादी संस्था के रूप में कार्य करने की क्षमता की रक्षा** करती है, तथा संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
  - इसके अलावा, सरकार अधिकांश मामलों में वादी है, इसलिये **न्याय प्रदान करने में सरकार की भूमिका से न्याय से समझौता** हो सकता है।
    - हाल के निर्णय, जैसे कि **चुनावी बंधपत्रों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला,** एक ऐसी न्यायपालिका के महत्त्व को रेखांकित करता है जो राजनीतिक दबावों से मुक्त हो।
  - **चौथे न्यायाधीश मामले (वर्ष 2015)** के अनुसार, कॉलेजियम की प्रधानता न्यायपालिका की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिये अभिन्न है, जो [संविधान की आधारभूत संरचना]() **की एक प्रमुख विशेषता** है।
- **विशेषज्ञता-संचालित चयन:** कॉलेजियम प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि **राजनेताओं या लोक सेवकों के बजाय न्यायाधीश** ही नियुक्तियों का चयन करें, जिससे योग्यता और न्यायिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
  - यह सहकर्मी-संचालित चयन प्रक्रिया न्यायिक कौशल और निष्ठा वाले उम्मीदवारों का अभिनिर्धारण करने के लिये **वरिष्ठ न्यायाधीशों के अनुभव का लाभ** उठाती है।
  - उदाहरण के लिये, संवैधानिक या वाणिज्यिक विधि के विशेषज्ञों को शामिल करने से न्यायपालिका की जटिल सांविधानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता सुदृढ़ होती है।
  - इसके अतिरिक्त, **क्रिप्टोकरेंसी विनियमन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में गहन विधिक विशेषज्ञता** की आवश्यकता थी, जो इस प्रणाली के लाभ को उजागर करती है।
- **जनरंजकवाद से बचाव:** कॉलेजियम प्रणाली **जनरंजकवाद/लोकप्रियतावाद के विरुद्ध** एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक **नियुक्तियाँ क्षणिक सार्वजनिक दबावों से प्रभावित न हों।**
  - उदाहरण के लिये, पर्यावरण संरक्षण (जैसे: **दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाना**) या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखने (जैसे: **गोपनीयता पर [पुत्तास्वामी मामला]()**) **पर सर्वोच्च न्यायालय का सक्रिय रुख** इस **निष्पक्षता** को प्रदर्शित करता है।
  - ये मामले संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा में न्यायपालिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं।
- **लचीलापन और जवाबदेही:** कॉलेजियम प्रणाली, अपनी अनौपचारिक संरचना के साथ, **उभरती न्यायिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुकूल** होने के लिये लचीलापन प्रदान करती है।
  - उच्च न्यायालय के उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेने तथा वंशवाद से बचने के हाल के निर्णय, **आलोचनाओं का समाधान करने** तथा **प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने** के लक्ष्य को दर्शाते हैं।
  - इस गतिशील दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण परीक्षण न्यायालय अनुभव वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिससे न्यायिक विविधता में लंबे समय से चली आ रही कमी दूर हुई है।
  - यह अनुकूलनशीलता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायपालिका सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये विकसित हो।

भारत में कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **पारदर्शिता का अभाव:** कॉलेजियम प्रणाली की इसकी **अपारदर्शी कार्यप्रणाली के लिये आलोचना** की जाती है, जिसमें **न्यायिक नियुक्तियों पर निर्णय प्रायः गोपनीय** रहते हैं और इसमें **जवाबदेही का अभाव** होता है।
  - चयन के लिये सार्वजनिक रूप से सुलभ मानदंडों का अभाव जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है तथा पक्षपात को लेकर प्रश्न उठाता है।
  - न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने स्वीकार किया कि **"वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता का अभाव है"।**
  - उदाहरण के लिये, **न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के विवादास्पद स्थानांतरण** ने ऐसे **निर्णयों के पीछे के औचित्य पर चिंताएँ** उत्पन्न कर दीं।
  - वैश्विक स्तर पर, **भारत की न्यायपालिका [विधि के शासन सूचकांक]() (वर्ष 2023) में 79वें स्थान पर** है, जो इसकी सापेक्ष स्वतंत्रता को दर्शाता है। **प्रस्तावों को ऑनलाइन प्रकाशित करने** जैसे प्रयासों के बावजूद, **खुलासे में असंगति बनी हुई है।**
- **वंशवाद और पक्षपात (अंकल जज सिंड्रोम):** आलोचकों का तर्क है कि कॉलेजियम प्रणाली **वंशवाद को बढ़ावा** देती है, जिसमें **कई न्यायाधीश मौजूदा या पूर्व न्यायाधीशों के रिश्तेदार** होते हैं, जिसके कारण न्यायपालिका अभिजात्य और गैर-प्रतिनिधित्व वाली प्रतीत होती है।
  - न्यायिक रिश्तेदारी वाले उम्मीदवारों को बाहर करने के हाल के कदमों का स्वागत किया गया है, लेकिन इनका **क्रियान्वयन असंगत रूप से किया जा रहा है।**
  - वर्ष 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि **उच्च न्यायालयों के लगभग 50%** न्यायाधीश और **सर्वोच्च न्यायालय के 33% न्यायाधीश** "न्यायपालिका के उच्च पदों" पर आसीन लोगों के परिवार के सदस्य थे, जिससे **पहली पीढ़ी के वकीलों के लिये बाधाएँ** उत्पन्न हो रही थीं।
- **नियुक्तियों में कार्यपालिका द्वारा विलंब:** कॉलेजियम की सर्वोच्चता के बावजूद, **कार्यपालिका प्रायः इसकी अनुशंसाओं को मंज़ूरी देने में विलंब करती है,** जिससे प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और न्यायिक रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं।
  - देश भर के **उच्च न्यायालयों में 60 लाख से अधिक मामले लंबित** हैं, तथा लंबे समय से **सरकार की निष्क्रियता के कारण 30 प्रतिशत सीटें रिक्त** हैं।
  - उदाहरण के लिये, झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में **न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी की नियुक्ति** के लिये कॉलेजियम की अनुशंसा को मंज़ूरी देने में **सरकार द्वारा छह महीने के विलंब के परिणामस्वरूप न्यायाधीश को केवल 15 दिनों का कार्यकाल मिला।**
- **विविधता का अभाव:** हाल के सुधारों के बावजूद, कॉलेजियम प्रणाली **महिलाओं, सीमांत समुदायों** और **क्षेत्रीय पहचान के प्रतिनिधित्व के मुद्दों**

को हल करने में लापरवाह रही है।

- जनवरी 2024 तक, उच्च न्यायालय में केवल 13.4% और सर्वोच्च न्यायालय में 9.3% **महिला न्यायाधीश** थीं।
- इसी प्रकार, उच्च न्यायालय के 25% से भी कम **न्यायाधीश अनुसूचति जाति, अनुसूचति जनजाति, अन्य पछिड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधति** हैं।

- **न्यायकि लंबति मामले और अकुशलता:** समय पर और सुसंगत नयिुक्त प्रिक्रयिा का अभाव लंबति मामलों की संख्या को बढ़ाता है, जसिसे न्यायपालकिा में जनता का वशि्वास कम होता है।
  - **भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 80,000** लंबति मामले न्याय तक पहुँच में बाधा डाल रहे हैं।
  - **न्यायकि अकुशलता के कारण भारत को प्रतविर्ष सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 1.5% का नुकसान** होता है, जसिसे महत्त्वपूर्ण आर्थकि एवं सामाजकि सुधारों में वलिंब होता है।
  - यद्यप कि़ॉलेजयिम का मानदंड योग्यता आधारति नयिुक्तयिाँ है, इसके संचालन में अकुशलताएँ इसके इच्छति लक्ष्यों के प्रतकिूल हैं।

भारत में न्यायकि नयिुक्तयिों में सुधार के लयि क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- **कॉलेजयिम प्रक्रयिाओं का संहतिाकरण: पारदर्शति, स्थरिता और जवाबदेही** लाने के लयि कॉलेजयिम कार्यप्रणाली को एक **औपचारकि संस्थागत कार्यढाँचे में संहतिाबद्ध करना** आवश्यक है।
  - एक वसि्तृत न्यायकि नयिुक्त प्रिक्रयिा में उम्मीदवार के चयन, नर्णिय लेने की समयसीमा और **पात्रता के मानदंडों पर स्पष्ट दशिानरि्देश** शामलि हो सकते हैं।
    - इससे यह सुनशि्चति होगा कि साक्षात्कार और वंशवाद को हतोत्साहति करने के कदम जैसी हालयिा प्रथाओं को संस्थागत रूप दयिा जा सके।
  - न्यायमूर्ति जि.एस. खेहर ने प्रस्ताव दयिा कि न्यायकि नयिुक्त प्रिक्रयिा के दौरान **अनुभवी अधविक्ताओं, न्यायवदिों और सेवानवृित्त न्यायाधीशों सहति "वशिष्टि व्यक्तयिों" की एक सलाहकार समति** के परामर्श कयिा जाना चाहयि। जसिमें:
    - कॉलेजयिम उनकी राय पर बनिा कसिी बाध्यता के वचिार करेगा।
    - इस प्रक्रयिा को आगे बढ़ाने के लयि, न्यायपालकिा, सरकार, बार और शक्षिावदिों के प्रतनिधियिों को शामलि करते हुए एक **सांवधिकि खोज़ समति को उम्मीदवारों के चयन में कॉलेजयिम की सहायता** करनी चाहयि।
    - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के लयि अलग-अलग समतियिों की स्थापना की जानी चाहयि, जनिका नेतृत्व आदर्श रूप से एक सम्मानति सेवानवृित्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा कयिा जाना चाहयि।

- **न्यायाधीशों की नयिुक्त में सुधार: सूचना के अधकिार (RTI) अधनियिम** के तहत न्यायाधीशों की नयिुक्त प्रिणाली को अधकि पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, ताक नागरकिों को चयन प्रक्रयिा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
  - कॉलेजयिम द्वारा नयिुक्त संदग्धि नष्ठिा वाले न्यायाधीशों को **स्वैच्छकि सेवानवृित्त जैसे तरीकों से हटाया जाना चाहयि।**
  - "अंकल जज सड्रिोम" के मुद्दे को उन उच्च न्यायालयों में **न्यायाधीशों की नयिुक्त न करके** हल कयिा जा सकता है जहाँ उनके रशि्तेदार प्रैक्टसि करते हैं।
  - लंबति मामलों के नपिटारे के लयि तदर्थ या अतरिकि्त न्यायाधीशों की नयिुक्त की जानी चाहयि।
  - पक्षपात को रोकने की दशिा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लयि **एक समान सेवानवृित्त लागू** की जानी चाहयि, और **मुख्य न्यायाधीशों के लयि न्यूनतम कार्यकाल** नरि्धारति कयिा जाना चाहयि। दक्षता के लयि न्यायालय प्रबंधन प्रथाओं में सुधार कयिा जाना चाहयि।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से प्रत्येक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लयि एक सचविालय स्थापति करने को भी कहा है, जसिमें उसके कार्यों, कर्त्तव्यों और जमि्मेदारयिों का वविरण दयिा गया हो।
- **नयिुक्तयिों के लयि प्रवर्तनीय समय-सीमा: कॉलेजयिम की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने के लयि कार्यपालकिा के लयि सख्त, प्रवर्तनीय समय-सीमा** लागू करने से न्यायकि नयिुक्तयिों में होने वाली दीर्घकालकि वलिंब की समस्या का समाधान हो सकेगा।
  - सरकार द्वारा अनुशंसाओं को स्वीकृत करने या वापस करने के लयि एक **वैधानकि समय-सीमा नरि्धारति करने से रकि्तयिों में कमी** आ सकती है।
- **नयिुक्तयिों में ववििधिता बढ़ाना:** न्यायकि नयिुक्तयिों के भीतर एक सकारात्मक कार्रवाई ढाँचा **महलिाओं, अनुसूचति जातयिों, अनुसूचति जनजातयिों** और अन्य सीमांत समुदायों का बेहतर प्रतनिधित्वि सुनशि्चति कर सकता है।
  - उदाहरण के लयि, सर्वोच्च न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उच्चतर न्यायालयों में कम से कम 25% न्यायाधीश महलिाएँ हों, जो सामाजकि जनसांख्यकिी को प्रतबिंबिति करता है।
  - इस दृष्टकिोण से ववििधि आबादी की आवश्यकताओं के प्रत **अधकि संवेदनशील न्यायपालकिा बनाने में मदद** मलि सकती है, जसिसे न्याय प्रदान करने में जनता का वशि्वास बढ़ेगा।
- **कॉलेजयिम नर्णियों में अधकि पारदर्शति:** उम्मीदवारों के चयन या अस्वीकृत कि कारणों सहति कॉलेजयिम चर्चाओं और नर्णियों के व्यापक रकिॉर्ड प्रकाशति करने से पारदर्शति में सुधार हो सकता है।
  - इस तरह के खुलासे से पक्षपात और वंशवाद के आरोपों का मुकाबला करने के साथ-साथ जनता का वशि्वास भी बढ़ेगा।
  - **ब्रटिेन जैसे देश न्यायकि रपिोर्ट प्रकाशति करते हैं,** जो **पारदर्शति के लयि मानक** का काम करती हैं।
  - भारत में भी इसी प्रकार की प्रथाएँ कॉलेजयिम प्रणाली को अधकि जवाबदेह बना सकती हैं।
- **प्रदर्शन-आधारति मूल्यांकन:** उम्मीदवारों के लयि प्रदर्शन-आधारति मूल्यांकन के अंगीकरण से **योग्यता-आधारति नयिुक्तयिाँ** सुनशि्चति हो सकती हैं तथा **क्षमता, ईमानदारी एवं न्यायकि स्वभाव को प्राथमकिता** दी जा सकती है।
  - इन मूल्यांकनों में दयि गए नर्णियों की संख्या, नवीन कानूनी व्याख्याएँ, तथा उनके नर्णियों में जनता का वशि्वास जैसे मानदंडों पर वचिार

कयिा जा सकता है।

- उदाहरण के लयि, **सुदृढ़ ट्रैक रकिॉर्ड वाले ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को** उच्च न्यायालय में **पदोन्नत कि के लयि वरीयता** दी जा सकती है।

- **दक्षता के लयि प्रौद्योगकिी का लाभ उठाना:** योग्य उम्मीदवारों, प्रदर्शन मेट्रकि्स और न्यायकि रकि्तयिों पर डेटा प्रबंधति करने के लयि **आर्टफिशियिल इंटेलजिेंस (AI)** जैसी **प्रौद्योगकिी का उपयोग** करने से नर्णिय लेने की दक्षता में वृद्धि हो सकती है।
  - AI उपकरण **वस्तुनष्ठि मूल्यांकन** सुनश्चिति कर सकते हैं, योग्यता और ववििधिता मैट्रकि्स के संयोजन के आधार पर सर्वोत्तम उम्मीदवारों का अभनिर्धारण कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लयि, [सर्वोच्च न्यायालय के SUPACE AI टूल] जैसी पायलट परयिोजनाएँ न्यायपालकिा की प्रौद्योगकिी को एकीकृत करने के उद्देश्य को दर्शाती हैं।
    - ऐसी पहलों को न्यायकि नयिुक्तयिों तक वस्तिारति करने से **मानवीय पूर्वाग्रह और वलिंब को कम कयिा जा सकता है।**

नष्किर्ष:

कॉलेजयिम प्रणाली ने न्यायकि स्वतंत्रता की रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमकिा नभिाई है। हालाँक, इसकी **पारदर्शति की कमी, कार्यकारी वलिंब** और **सीमति ववििधिता** महत्त्वपूर्ण **चुनौतयिाँ** पेश करती रहती है। **प्रक्रयिाओं को संहतिाबद्ध** करने, **लागू करने योग्य समयसीमाएँ** शुरू करने और **ववििधिता को बढ़ाने** जैसे सुधार **इन मुद्दों का हल** दे सकते हैं। **न्यायकि स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच संतुलन** कॉलेजयिम प्रणाली के वकिास के लयि **आवश्यक** है। अंततः, **अधकि पारदर्शी, कुशल और समावेशी दृष्टकिोण** न्यायपालकिा को सुदृढ़ कर सकता है तथा जनता के वश्विास को पुनर्स्थापति कर सकता है।

??????? ?????? ???????:

प्रश्न. उच्च न्यायपालकिा में न्यायाधीशों की नयिुक्त मिें भारत की कॉलेजयिम प्रणाली की कार्यप्रणाली की ववेचना कीजयि। न्यायकि स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापति करने में आने वाली चुनौतयिों पर प्रकाश डालयि

UPSC सवििल सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

???????????

प्रश्न. नम्निलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2019)

1. भारत के संवधिान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के नर्वाचन को न्यायकि पुनर्वलिोकन के परे कर दयिा।
2. भारत के संवधिान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभखिंडति कर दयिा क्योंक यिह न्यायपालकिा की स्वतंत्रता का अतक्रिमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालकिा में न्यायाधीशों की नयिुक्त कि संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायकि नयिुक्त आयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नर्णिय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-collegium-conundrum